



राजस्थान सरकार

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वेबसाईट : rscdrf.food.rajasthan.gov.in, गेल आई.सी. raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141-2372237

क्रमांक:—एफ 19/सा.प्र./रा.आ./

दिनांक:

आदेश

कोरोना (Covid-19) की दूसरी लहर को प्रभावी रूप से नियन्त्रित करने हेतु गृह (गुप-7) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 30.04.2021 की निरन्तरता में आदेश क्रमांक प.7(1)गृह-7/2021 दिनांक 06.05.2021 द्वारा दिनांक 10.05.2021 प्रातः 5:00 बजे से दिनांक 24.05.2021 सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक की अवधि के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। उक्त आदेश में सभी कार्यस्थल (work place) को बन्द रखने का आदेश दिया गया है।

निर्देशानुसार, उक्त आदेश दिनांक 06.05.2021 के अनुक्रम में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर, सर्किट बैच-जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा तथा समस्त अधीनस्थ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, के कार्यालय दिनांक 10.05.2021 प्रातः 5:00 बजे से दिनांक 24.05.2021 सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक की अवधि तक बन्द रहेंगे। अतः इस कार्यालय के पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 458-470 दिनांक 19.04.2021, 1441-1449 दिनांक 20.04.2021 एवं 1470-1481 दिनांक 02.05.2021 की निरन्तरता में निम्न अतिरिक्त निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. जिन प्रकरणों में अन्तरिम आदेश दिनांक 24.05.2021 तक है, उनमें आगामी सुनवाई की तारीख तक उक्त अन्तरिम आदेश स्वतः प्रभावी रहेंगे।
2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विविध प्रार्थना पत्र संख्या 665/2021 एस.एम.डब्ल्यू (सी) नं. 3/2020 In RE COGNIZANCE FOR EXTENSION OF LIMITATION. में पारित आदेश दिनांक 27.04.2021, द्वारा सभी न्यायिक/अर्द्धन्यायिक कार्यवाहियों में परिसीमा अवधि को अग्रिम आदेश तक बढ़ाये जाने बाबत आदेश पारित किया गया है, जो राज्य आयोग व समस्त अधीनस्थ जिला आयोगों में भी प्रभावी रहेगा।
3. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी गाइडलाइन की पालना भी सुनिश्चित की जायेगी।

sd/-

(अनीश दाधीच)
रजिस्ट्रार

क्रमांक:—एफ 19/सा.प्र./रा.आ./1509-1520

दिनांक: 10-05-2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 2 माननीय न्यायिक सदस्य/गैर न्यायिक सदस्य, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 3 निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 4 प्रभारी अधिकारी, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैच, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा (जरिये ईमेल से)।
- 5 उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 6 समस्त, अध्यक्ष व सदस्यगण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान को पालनार्थ (जरिये ईमेल से)।
- 7 अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर एवं समस्त अध्यक्ष, जिला बार एसोसियेशन, राजस्थान को जरिये सम्बन्धित जिला आयोग अध्यक्ष के माध्यम से (जरिये ईमेल से)।
- 8 प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 9 प्रभारी, संस्थापन शाखा, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 10 कॉजलिस्ट शाखा/न्यायिक शाखा राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 11 नोटिस बोर्ड, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 12 रक्षित पत्रावली।

(अनीश दाधीच)
रजिस्ट्रार